

अनुवाद

"कृपया पत्राचार विशेषकर ई-मेल हिंदी में करने को प्रोत्साहन दें"

दूरभाष Phone : 23234092  
फैक्स Fax : 23234537  
टॉल फ्री : 1800-11-2526



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली 110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

[www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in)



संख्या : आर-18/13/37/2005-हित.2

दिनांक : 05.07.2010

क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक,  
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय,  
क.रा.बी. निगम,

विषय : लाभाधिकारियों को हितलाभ के किए गए अधिक्य भुगतान जो स्थायी समिति/निगम की शक्ति के भीतर है (अर्थात 10,000/- रुपये से अधिक) का अधित्याग ।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या आर-18/13/अधित्याग एसटीटी/2009-हित.2 दिनांक 22.10.2009 के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ के अधिक्य/गलत भुगतान के अधित्याग हेतु मुख्यालय भेजने से पूर्व सभी मामलों की उचित रूप से संवीक्षा कर लें । राशि वसूल न कर पाने तथा गलत/अधिक्य भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के पूर्ण विवरण/कारण भी मुख्यालय को सूचित करें।

स्थायी समिति ने 07.06.2010 को सम्पन्न बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए मामलों पर विचार करते हुए पाया कि भुगतान से पूर्व पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती गई है तथा निदेश दिया कि ऐसे मामले दोबारा नहीं होने चाहिए । इसलिए आपसे यह सुनिश्चित करने का निवेदन है कि आपके नियंत्रणाधीन शाखा कार्यालय लाभाधिकारियों को नकद हितलाभ का भुगतान करते समय पूरी सावधानी बरतें तथा अधिक्य भुगतान के मामले दोबारा घटित न हों ।

व्यक्ति प्रमाण

SYSTEMS DIVISION

दफ्तरी क्र./Diary No. 240.....  
दिनांक /Date... 16/9/10.....

श्री. अ. ग. ग. ग.  
श्री. अ. ग. ग. ग.  
Secy

16/9/10

तथापि, पहले ही किए गए अधिक्त्य भुगतान के उन मामलों में जिनमें सभी संभव प्रयासों के बावजूद वसूली संभव नहीं हो पाई है, जो मामले आपकी शक्तियों से बाहर के हैं उनके संबंध में अधित्याग की सिफारिश विहित आरूप एम आई एस आर ओ/हित-03 (प्रतिलिपि संलग्न) में इस कार्यालय को भेजे ।

कृपया सुनिश्चित करें कि अधिक्त्य भुगतान की वसूली के लिए शाखा कार्यालय पुस्तिका के पैरा 11.42 तथा 11.43 के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्रवाई की गई है तथा मामले मुख्यालय भेजने से पूर्व अधित्याग के लिए वित्त एवं लेखा की संस्तुति ले ली गई है ।

कृपया पावती भिजवाएं ।

भवदीय,

प्रणव कुमार  
(प्रणव कुमार)  
सहायक निदेशक(हित.-2)

प्रतिलिपि :

1. राजभाषा शाखा, मुख्यालय ।
2. संयुक्त निदेशक(प्रणाली) को यह वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

विवरणी कूट संख्या : एम आई एस आर ओ/हित-03  
 विवरणी का नाम : क्षेत्रीय निदेशक की शक्तियों के बाहर बीमाकृत व्यक्तियों से वसूली के अधित्याग की विवरणी  
 विवरणी की आवधिकता : तिमाही  
 प्रस्तुत करने की नियत तारीख : अनुवर्ती माह की 20 तारीख

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय \_\_\_\_\_

संख्या :

दिनांक \_\_\_\_\_

क्षेत्रीय निदेशक की शक्तियों के बाहर बीमाकृत व्यक्तियों से वसूली के अधित्याग की विवरणी

समाप्त तिमाही के दौरान

क्र.सं.	नाम व बीमा संख्या	हिललाभ के अधिक भुगतान की राशि	अवधि जिससे अधिक भुगतान संबंधित है	अधिक्य भुगतान के कारण	अधिक भुगतान का पता लगाने की तारीख तथा किसने पता लगाया	वसूली के लिए वसूली की गई कार्रवाई	वसूली, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

अधित्याग की निवत राशि	तक प्राप्त अंशदान	अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई	वसूली न कर पाने के कारण	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13

### प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि अधिक भुगतान का पता लगाने के बाद किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है तथा कर्मचारियों को सचेत किया गया है। कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई को पहला/दूसरा दृष्टांत होने के कारण माफ कर दिया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय कार्यालय में अनुसंधित तेजर शीट तथा अधिक्य भुगतान रजिस्ट्रारों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की गई हैं।
4. प्रमाणित किया जाता है कि अधिक भुगतान के अधित्याग के संबंध में विहित कवायद पूरी कर ली गई है तथा इसकी वसूली की कोई संभावना नहीं है।

सेवा में,

महानिदेशक (बीमा शाखा-2)

क.रा.बी. निगम, मुख्यालय,  
 पंचदीप भवन, कोटला रोड,  
 नई दिल्ली।

उप निदेशक

कृते क्षेत्रीय निदेशक